

California Vote-By-Mail Ballot Application

कैलिफ़ोर्निया में डाक-द्वारा-मत देने के लिए मतपत्र का आवेदन

FOR OFFICIAL USE ONLY

Rev. 08/2016

Enter the date of the election and the type of election (e.g., Primary, General, or Special). This application must be received by your county elections official not later than seven (7) days prior to the date of the election. The date of the election can be found at www.sos.ca.gov/elections/upcoming-elections/. A ballot will not be sent to you if this application is incomplete or inaccurate.

चुनाव की तारीख भरें और यह कि यह किस प्रकार का चुनाव है (उदाहरणार्थ, आरंभिक, जनरल या विशेष)। आपके काउंटी चुनाव अधिकारी के पास इस आवेदन को चुनाव से कम से कम सात (7) दिन पहले पहुंच जाना आवश्यक है। चुनाव की तारीख www.sos.ca.gov/elections/upcoming-elections/ पर पाई जा सकती है। यह आवेदन यदि अधूरा या गलत है तो आपको मत पत्र नहीं भेजा जाएगा।

1. This is an application for a vote-by-mail ballot for the _____, _____ election.
Month/Day/Year Type of Election (Primary, General, or Special)

यह डाक-द्वारा-मत देने के लिए मतपत्र का आवेदन है _____, का _____ चुनाव।
महीना/दिन/वर्ष चुनाव का प्रकार (आरंभिक, जनरल या विशेष)

2. Print name – नाम मुद्रित करें:

3. Date of birth – जन्म तिथि:

First - पहला नाम Middle Name or Initial - बीच का नाम या आद्यक्षर Last - आखिरी नाम Month/Day/Year - महीना/दिन/वर्ष

4. Residence address: – घर का पता:

Number and Street (P.O. Box, Rural Route, etc. will not be accepted) (Designate N, S, E, W if used)
नंबर और सड़क (पी.ओ. बक्स, ग्रामीण रास्ता आदि स्वीकार नहीं किए जाएंगे) (यदि लागू हो तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम इंगित करें)

City - शहर Zip Code - ज़िप कोड California County - कैलिफ़ोर्निया काउंटी

5. Mailing address for ballot (if different from above) – मत पत्र के लिए डाक का पता (यदि उपरोक्त से अलग है):

If your mailing address is outside of the U.S., and you are a military or overseas voter, re-register at RegisterToVote.ca.gov or use the Federal Post Card Application at www.fvap.gov. यदि आपका डाक पता संयुक्त राज्य से बाहर है, और आप मिलिटरी या विदेश में रह रहे मतदाता हैं, तो RegisterToVote.ca.gov पर दायग पंजीकरण करें या www.fvap.gov संघीय पोस्ट कार्ड आवेदन का प्रयोग करें।

Number and Street/P.O. Box - नंबर और सड़क/पी.ओ. बक्स (Designate N, S, E, W if used) - (यदि लागू हो तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम इंगित करें)

City - शहर State or Foreign Country - राज्य या विदेशी देश Zip Code or Postal Code - ज़िप कोड या पोस्टल कोड

6. Telephone number (optional) – टेलिफ़ोन नंबर (वैकल्पिक):

Day - दिन के समय Evening - शाम के समय

7. (Only complete Item 7 if this application is for a Presidential Primary Election and you did not choose a political party preference when you registered to vote.) - (मद 7 को केवल तभी भरें यदि यह आवेदन राष्ट्रपति के आरंभिक चुनाव के लिए है और मतदान करने के लिए पंजीकरण करते समय आपने किसी राजनीतिक दल प्राथमिकता का चुनाव नहीं किया था।)

Yes, I want to request a political party ballot for the Presidential Primary Election.

हाँ, मैं राष्ट्रपति के आरंभिक चुनाव के लिए किसी राजनीतिक पार्टी के मत पत्र का आवेदन कर रहा/रही हूँ।

I have not chosen a preference for a qualified political party. However, for this primary election only, I request a vote-by-mail ballot for the _____ Party.* - मैंने किसी योग्य राजनीतिक दल के लिए प्राथमिकता का चुनाव नहीं किया है। फिर भी, केवल इस आरंभिक चुनाव के लिए, मैं _____ पार्टी* के लिए, डाक-द्वारा-मत देने के लिए मत पत्र का आवेदन कर रहा/रही हूँ।

* To find out which political parties have authorized voters who have not chosen a party preference (known as "No Party Preference voters") to vote their party's ballot in the Presidential Primary, call the SOS's toll-free Voter Hotline at (800) 345-VOTE (8683).
* यह पता करने के लिए कि किन राजनीतिक दलों ने दल प्राथमिकता का चुनाव न करने वाले मतदाताओं (जिन्हें "कोई दल प्राथमिकता नहीं मतदाता" कहा जाता है) को राष्ट्रपति के आरंभिक चुनाव में अपने दल के मतपत्र पर मतदान करने की अनुमति दी है, SOS की टोल-फ्री वोटर हॉटलाइन (888) 345-2692 पर कॉल करें।

8. **Yes, I want to become a permanent vote-by-mail voter. – हाँ, मैं स्थायी तौर पर डाक-द्वारा-मत देने वाला मतदाता बनना चाहता/चाहती हूँ।**

By checking this box and by initialing here _____, I am requesting to become a permanent vote-by-mail voter. A vote-by-mail ballot will automatically be sent to me in all future elections. I understand that if I fail to vote by mail in four consecutive statewide general elections, I will need to reapply for permanent vote-by-mail voter status. इस खाने में निशान लगाकर और यहाँ _____ अपने छोटे हस्ताक्षर करके, मैं स्थायी तौर पर डाक-द्वारा-मत देने वाला मतदाता बनने का निवेदन कर रहा/रही हूँ। सभी भावी चुनावों के लिए मुझे खुद-बखुद डाक-द्वारा-मत देने वाला मत पत्र भेज दिया जाएगा। मैं समझता/समझती हूँ कि यदि मैंने एक के बाद एक चार राज्यवार जनरल चुनावों में डाक द्वारा वोट नहीं दिया, तो मुझे स्थायी तौर पर डाक-द्वारा-मत देने वाला मतदाता की हस्तियत बनाए रखने के लिए फिर से आवेदन करना पड़ेगा।

9. This application must be signed. – इस आवेदन पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है।

I have not applied for a vote-by-mail ballot from any other jurisdiction for this election. I certify under penalty of perjury under the laws of the State of California that the information I have provided on this application is true and correct. - इस चुनाव के लिए मैंने किसी अन्य अधिकार क्षेत्र से डाक-द्वारा-मत देने वाले मत पत्र का आवेदन नहीं किया है। कैलिफ़ोर्निया कानून के तहत झूठी गवाही देने के लिए मिलने वाली सज़ा को समझते हुए मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र पर मैंने जो जानकारी दी है, वह सच और सही है।

Signature - हस्ताक्षर: _____ Date - तिथि: _____

Warning: Perjury is a felony, punishable by imprisonment in state prison for up to four years. (Penal Code § 126)

चेतावनी: झूठी गवाही देना महा अपराध है और इसकी सज़ा में अपराधी को चार वर्ष तक के लिए राज्यकैद जेल में कैद किया जा सकता है। (आपराधिक संहिता 126)

NOTICE - नोटिस

You have the right to mail or deliver this application directly to your county elections official. - आपको यह अधिकार है कि आप इस आवेदन पत्र को डाक से या सीधे अपने काउंटी चुनाव अधिकारी के पास पहुंचाएं। Returning this application to anyone other than your county elections official may cause a delay that could interfere with your ability to vote.

यदि इस आवेदन पत्र को काउंटी चुनाव अधिकारी के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचाया जाता है तो विलंब हो सकता है, जिससे आपकी वोट देने की क्षमता में बाधा आ सकती है।

If this application is returned by mail, it must be returned directly to your county elections official. - यदि यह आवेदन डाक से वापिस किया जाता है तो यह सीधा आपके काउंटी चुनाव अधिकारी को वापस किया जाना चाहिए।

Only the registered voter himself or herself may apply for a vote-by-mail ballot. An application for a vote-by-mail ballot made by a person other than the registered voter is a criminal offense. - केवल पंजीकृत मतदाता ही अपनी ओर से डाक-द्वारा-मत देने का आवेदन कर सकते हैं। पंजीकृत मतदाता के अलावा यदि किसी व्यक्ति ने डाक-द्वारा-मत देने का आवेदन किया, तो इसे आपराधिक जुर्म माना जाएगा।

Individuals/Organizations/Groups Distributing this Application - इस आवेदन को वितरित करने वाले व्यक्तियों/संस्थाओं/समूहों के लिए

The format used on this application must be followed by anyone distributing vote-by-mail ballot applications. Failure to conform to this format is a crime.

डाक-द्वारा-मत हेतु मत पत्र के आवेदनों को वितरित करने वाले लोगों को इस आवेदन में प्रयुक्त प्रारूप इस्तेमाल करना आवश्यक है। इस प्रारूप का अनुपालन न करना आपराधिक जुर्म माना जाएगा।

Anyone distributing this application may not preprint a mailing address in Item 5.

इस आवेदन को वितरित करने वाले लोगों को जान लेना चाहिए कि मद 5 में पहले से ही डाक पते को मुद्रित करना मना है।

Anyone distributing this application may not preprint a check mark or political party name in Item 7.

इस आवेदन को वितरित करने वाले लोगों को जान लेना चाहिए कि मद 7 में पहले से ही किसी राजनीतिक पार्टी का नाम या निशान भरना मना है।

Anyone providing this application to a voter must enter their name, address, and telephone number here:

जब व्यक्ति ने मतदाता को यह आवेदन पत्र दिया, उसे अपना नाम, पता और फ़ोन नंबर यहाँ लिखना आवश्यक है: _____

कैलिफ़ोर्निया में डाक-द्वारा-मत देने के लिए मतपत्र का आवेदन को पूरा करने के निर्देश

इस आवेदन का प्रयोग कौन कर सकता है

कैलिफ़ोर्निया के सामान्यकृत डाक-द्वारा-मत देने के लिए मतपत्र के आवेदन का प्रयोग केवल पंजीकृत मतदाता ही कर सकते हैं। यदि आपने वोट देने के लिए पहले से अपना पंजीकरण नहीं किया है, तो आप राज्य सचिव (Secretary of State) की वेबसाइट [RegisterToVote.ca.gov](https://www.register-tovote.ca.gov) पर ऑनलाइन वोट देने के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। आप अपने काउंटी चुनाव कार्यालय, लाइब्रेरी, या यू.एस. पोस्ट ऑफ़िस से भी मतदाता पंजीकरण कार्ड ले सकते हैं। आपके भरे हुए मतदाता पंजीकरण कार्ड को चुनाव से कम से कम 15 दिन पहले ऑनलाइन या आपके काउंटी चुनाव कार्यालय के पास जमा कर देना आवश्यक है।

डाक-द्वारा-मत देने के लिए आप इस डाक-द्वारा-मतदान मतपत्र के लिए आवेदन का प्रयोग कर सकते हैं, चुनाव से पहले आपको डाक में प्राप्त हुई नमूना मतपत्र पुस्तिका में दिए गए फ़ॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं, या अपने काउंटी चुनाव कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। काउंटी की संपर्क जानकारी ऑनलाइन www.sos.ca.gov/elections/voting-resources/county-elections-offices/ पर मिल सकती है।

यह डाक-द्वारा-मत देने के लिए मतपत्र का आवेदन राज्य सचिव (Secretary of State, SOS) ने उन व्यक्तियों, समूहों या संस्थाओं के प्रयोग के लिए उपलब्ध कराया है जो एक से अधिक काउंटियों में होने वाले चुनावों के लिए डाक-द्वारा-मत देने के लिए मतपत्र आवेदनों को वितरित कर रहे हैं। जो संस्थाएं केवल एक काउंटी में होने वाले चुनावों के लिए आवेदन पत्र वितरित कर रहीं हैं उन्हें उपयुक्त आवेदन प्रारूप तथा बार कोड जानकारी के लिए काउंटी चुनाव कार्यालय से संपर्क करना चाहिए।

जो कैलिफ़ोर्निया निवासी सैन्य बलों में कार्यरत हैं और उस काउंटी से बाहर हैं जहां वे वोट देने के लिए योग्य हैं, या विदेश में रह रहे या पढ़-लिख रहे कैलिफ़ोर्निया निवासी, या तो ऑनलाइन [RegisterToVote.ca.gov](https://www.register-tovote.ca.gov) पर अथवा फ़ेडरल पोस्ट कार्ड ऐप्लिकेशन (Federal Post Card Application, FPCA) के माध्यम से मिलिटरी या विदेश में रह रहे मतदाता के रूप में पंजीकरण करा सकते हैं। ऐसा करने से अपना मतपत्र प्राप्त करने के अधिक विकल्प मिलते हैं और प्राथमिक सेवा सुनिश्चित होती है। FPCA तथा सैन्य और विदेशी मतदाताओं के लिए अन्य महत्वपूर्ण जानकारी www.fvap.gov पर उपलब्ध है।

इस आवेदन पत्र को कैसे भरें

मद 1. उस चुनाव की तारीख़ भरें जिसमें आप वोट देना चाहते हैं (महीना, दिन, वर्ष) और चुनाव का प्रकार बताएं (आरंभिक, जनरल या विशेष)।

मद 2. साफ़ अक्षरों में अपना पहला, बीच का और आखिरी नाम लिखें, वैसे ही जैसे ये आपके मतदाता पंजीकरण कार्ड पर दिए गए हैं।

मद 3. साफ़ अक्षरों में और इस क्रम में अपनी जन्म तिथि लिखें - महीना, दिन, वर्ष।

मद 4. साफ़ अक्षरों में अपने वोट देने के निवास स्थान का पूरा पता लिखें। इसके लिए पोस्ट ऑफ़िस बक्स या ग्रामीण रास्ते का नाम स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

मद 5. मतदाता को डाक पते की जानकारी खुद भरना आवश्यक है। यदि मद 4 में दिया गया निवास पता इस पते से अलग है, तो साफ़ अक्षरों में वह पूरा पता लिखें जहां आप मतपत्र मंगवाना चाहते हैं।

मद 6. साफ़ अक्षरों में अपना टेलिफ़ोन नंबर लिखें (वैकल्पिक, ज़रूरी नहीं) ताकि यदि चुनाव कार्यालय को अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता हो तो आपसे संपर्क किया जा सकता है।

मद 7. मद 7 को केवल तभी भरें यदि आवेदन राष्ट्रपति के आरंभिक चुनाव के लिए है और मतदान करने के लिए पंजीकरण कराते समय आपने किसी राजनीतिक दल प्राथमिकता का चुनाव नहीं किया था। यदि मतदान करने के लिए पंजीकरण कराते समय आपने किसी राजनीतिक दल प्राथमिकता का चुनाव नहीं किया था, तो आपको कोई दल प्राथमिकता नहीं मतदाता माना जाता है

और आप दल के राष्ट्रपति के लिए मतपत्र के लिए निवेदन कर सकते हैं, अगर यदि वह राजनीतिक दल ऐसा करने की अनुमति देता है। **चौखाने में निशान और राजनीतिक पार्टी का नाम मतदाता द्वारा भरे जाना आवश्यक है।**

यह पता करने के लिए कि कौन से राजनीतिक दल, कोई दल प्राथमिकता नहीं मतदाताओं को राष्ट्रपति के आरंभिक चुनाव में अपने दल के मतपत्र पर मतदान करने की अनुमति दे रहे हैं, SOS की टोल-फ्री वोटर हॉटलाइन (888) 345-2692 पर कॉल करें।

यदि आपने राष्ट्रपति के आरंभिक चुनाव के लिए किसी राजनीतिक पार्टी के मतपत्र का निवेदन नहीं किया, तो आपको एक गैर-पार्टी मतपत्र प्रदान कराया जाएगा जिसमें केवल मतदाता द्वारा नियुक्त तथा गैर-पार्टी पदों (इसमें राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार शामिल नहीं हैं) के उम्मीदवारों के नाम, और वे विधेयक, यदि हों तो, शामिल होंगे जिनपर राष्ट्रपति के आरंभिक चुनाव में वोट डाला जाना है।

मद 8. किसी पंजीकृत मतदाता को सभी भावी चुनावों के लिए खुद व खुद डाक-द्वारा-मत देने के लिए मतपत्र भेजा जा सकता है अगर वह स्थायी तौर पर डाक-द्वारा-मत देने के चौखाने में निशान लगाकर रेखा पर अपने छोटे हस्ताक्षर कर दे। कोई भी मतदाता किसी भी समय डाक-द्वारा-मत देने की अपनी हैसियत को सीधे काउंटी चुनाव अधिकारी से संपर्क करके बदल सकता है।

मद 9. हस्ताक्षर करके इस क्रम में तारीख डालें - महीना, दिन, वर्ष। किसी गवाह या नोटरी की आवश्यकता नहीं।

इस आवेदन को कैसे दर्ज करें

डाक-द्वारा-मत देने के लिए मतपत्र चुनाव से कम से कम 7 दिन पहले आपके काउंटी चुनाव अधिकारी के पास पहुंच जाना चाहिए। फिर भी, चुनाव से पहले के आखिरी सप्ताह में यदि आप बीमार पड़ जाते हैं या अशक्त बन जाते हैं, या मालूम होता है कि आप चुनाव के दिन अपने वोट देने के स्थान पर नहीं पहुंच सकते हैं, तो आप अपने काउंटी चुनाव अधिकारी के पास व्यक्तिगत रूप से लिखित आवेदन या पत्र जमा करके निवेदन कर सकते हैं कि डाक-द्वारा-मत देने के लिए मतपत्र आपको पहुंचाया जाए। निवेदन में आपका नाम और घर का पता शामिल होना चाहिए, वह पता जिसपर आप मतपत्र मंगवाना चाहते हैं, उस चुनाव का नाम या तारीख जिसमें आप वोट करना चाहते हैं, आपके हस्ताक्षर और तिथि। आप किसी दूसरे व्यक्ति को चुनाव अधिकारी से मतपत्र प्राप्त करने की अनुमति दे सकते हैं और/या वोट लिखने के बाद उसे चुनाव अधिकारी के पास लौटाने की अनुमति दे सकते हैं।

यदि यह आवेदन डाक से वापिस किया जाता है तो यह सीधा आपके काउंटी चुनाव अधिकारी को वापस किया जाना चाहिए।

कृपया आवेदनों को SOS के कार्यालय में न भेजें। ऐसा करने से आवेदन प्रक्रिया में देर होगी।

आप अपने काउंटी चुनाव अधिकारी का पता और टेलिफ़ोन नंबर SOS की वेबसाइट

<http://www.sos.ca.gov/elections/voting-resources/county-elections-offices/> पर ढूंढ सकते हैं।

आवेदन पत्र पर पहले से क्या मुद्रित किया जा सकता है

राजकीय कानून के तहत मतदाता को अपने हाथों से अपने हस्ताक्षर करने चाहिए और वह पता लिखना चाहिए जिसपर मतपत्र डाक द्वारा भेजा जाएगा।

यदि कोई संस्था आवेदन पत्र वितरित कर रही है तो वितरण अधिकृत करने वाली संस्था का नाम, पता और फ़ोन नंबर आवेदन पत्र में शामिल करना आवश्यक है।

जानकारी की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए, प्रत्येक मतदाता को आवेदन पत्र पर अपने हाथों से सभी जानकारियां भरनी चाहिए। फिर भी, आवेदन पत्र वितरित करने वाले व्यक्ति, समूह या संस्थाएं निम्नलिखित चीजें पहले से भर सकते हैं:

- मतदाता का साफ अक्षरों में नाम और घर का पता जैसा कि मतदाता पंजीकरण कॉर्ड पर दर्शाया गया है।
- उस चुनाव का नाम और तारीख जिसके लिए मतपत्र का निवेदन किया जा रहा है।
- आवेदन पत्र का वितरण अधिकृत करने वाले व्यक्ति, समूह या संस्था का नाम, पता और फ़ोन नंबर।

(संशोधित अगस्त 2016)